न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 20 / 2022

प्रार्थी

मोतीराम पुत्र लकाजी, जाति–रेबारी, निवासी–पामेरा, तहसील–रेवदर, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) अमराराम पुत्र ओटा जी, जाति–कलबी, निवासी–पामेरा, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, पामेरा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, पामेरा, तह.रेवदर जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

(1) अधिवक्ता श्री पूरण सिंह देवड़ा, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से
(3) अधिवक्ता श्री नारायण पटेल, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 13 मई, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी श्री अमराराम पुत्र ओटा जी कलबी, निवासी– पामेरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 900 वर्गफीट भूमि का रियायती दर पर जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 06–9–2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, पामेरा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण पटेल उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ताओं द्वारा अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये गये।

(3) प्रकरण में दिनांक 09–5–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि प्रार्थी के मालकी स्वामित्व के दो भूखण्ड ग्राम पामेरा मे आये हुए है जिसके पट्टा नंबर 36 व 38 मिसल संख्या 53. 54 / 90 है। ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा प्रार्थी मोतीराम के नाम से उक्त दोनों पट्टे क्षेत्रफल 60x30 वर्गफीट के जारी किये गये है, जिनका कुल क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट है। जिसकी चतुदर्शी पूर्व में हंसाराम पुत्र फता सुआर पामेरा, पश्चिम दिशा आम रास्ता, उत्तर मे बिलानाम जमीन, दक्षिण मे मोती लाल स्वंय का प्लॉट, जो पटटे में दर्शाई गयी है। उक्त पटटे मे दर्शाई गयी जमीन के पास पश्चिम दिशा में आम रास्ता आया हुआ है उक्त आम रास्ता को प्रार्थी वर्ष 1990 से उपयोग व उपभोग आमजन की जानकारी में करता आ रहा है और प्रार्थी अपने मालकी स्वामित्व के भुखण्ड के पश्चिम दिशा में लोहे का दरवाजा का निर्माण कई वर्षों पूर्व से किया गया है। ग्राम पंचायत पामेरा द्वारा ग्राम पामेरा मे आबादी मे प्लॉट के हिसाब से प्रार्थी के प्लॉट के पश्चिम दिशा में आम रास्ता की जगह छोडकर प्रार्थी के नाम पटटा जारी किया जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को भी है। प्रार्थी के पटटा शुदा प्लॉटो पर परकोटा का निर्माण कर एक

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ सिरोही ★ सत्यमेव जयते

मात्र आने जाने का रास्ता पश्चिम दिशा में है, जहां पर एक लोहे का दरवाजा का निर्माण किया गया था जो पटटे शुदा प्लोटो के आने जाने एक मात्र रास्ता मौके पर मौजुद है इसके अलावा दुसरा कोई रास्ता नही है। उक्त आम रास्ते को अप्रार्थी अमराराम ने यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के दो–तीन दिन पुर्व मे रात को आम रास्ते पर पत्थर डाल कर रात दिन नीव की खुदाई कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिनांक 19.05.2022 को प्रार्थी अपने पटटे शुदा प्लोटो को देखरेख करने गया तब पता चला कि अप्रार्थी अमराराम के भाई मानाराम, अप्रार्थी अमराराम के पिता ओटाराम द्वारा अवैध निर्माण करवा रहे है तब प्रार्थी ने अपने प्लॉट का पट्टा दिखाया कि पश्चिम दिशा में आम रास्ता है और जिसका उपयोग प्रार्थी व ग्राम के आम लोगो का उपयोग उपभोग करते आ रहे है और अप्रार्थी पामेरा को निर्माण कार्य रोकने व पत्थर हटाने का कहा तो अप्रार्थी अमराराम के भाई व पिता ने कहा कि हमारे पास ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा पट्टा संख्या 22 दिनांक 06.09.2019 को अप्रार्थी अमराराम के हक में जारी किया हुआ है जिसमे यह आम रास्ते की जमीन हमारे पटटे के हिसाब से हम निर्माण कार्य कर रहे है जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, पामेरा को शिकायत करने पर उसने बताया कि आम रास्ते पर अप्रार्थी अमराराम के नाम से पट्टा बना हुआ है। उक्त पट्टे की छानबीन करने पर एक फोटो प्रति प्रार्थी को प्राप्त होने पर प्रार्थी ने एक लिखित रिपोर्ट जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रस्तुत की व उसकी प्रतिलिपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरपंच च सचिव ग्राम पंचायत पामेरा को प्रस्तुत की गई और बिना देरी के यह निगरानी आवेदन अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह कि अप्रार्थीगण ने मेलमिलाप कर विधि विरूद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1996 के नियम 158 प्रारूप 23 ग के तहत अप्रार्थी अमराराम के नाम जारी किया गया, जो पटटा नियम विरूद्ध जारी किया गया है, क्योंकि मौके पर आम रास्ते पर व बिना निर्माण के पटटा बनाया है जो नियम 158 के विरूद्ध है। नियम 158 मे जारी किये गये पट्टे का प्लॉट पर निर्माण होना आवश्यक है अप्रार्थीगण ने मिलकर बिना मौका देखे व परिस्थिति देखे पट्टा जारी किया है जो विधि विरूद्ध है। इस तरह पट्टे में वर्णित नाप व चतुदर्शी एवं मौके की स्थिति भिन्न भिन्न है जो मेल नहीं खाती है। अप्रार्थी अमराराम, प्रार्थी मोतीराम के अपने पट्टेशुदा भूमि के पश्चिम दिशा मे आने जाने का आम रास्ता को बंद करने हेतु आमादा है और अप्रार्थी अपने रिश्तेदारो, भाईयों, एजेन्टों द्वारा अवैध रूप से आम रास्ते को अपने कब्जे में कर निर्माण कर आम रास्ते को बंद करना चाहता है और आने जाने मे व आम रास्ते का उपयोग उपभोग करने मे अनावश्यक रुप से दखलअंदाजी कर रहा है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा दिनाँक 06.09.2019 को अप्रार्थी अमराराम के पक्ष में उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत जारी किया गया था, जबकि अप्रार्थी अमराराम नियम 158 के तहत रियायती दर पर पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है तथा मौके पर अप्रार्थी अमराराम का कब्जा कभी नहीं रहा है व मौके पर कब्जा सुपुर्द नही किया गया है। उसके बावजूद भी उक्त पट्टा गलत आशय से जारी किया गया है। उक्त प्रश्नगत पट्टे में वर्णित चतुदर्शी एवं नाप एवं मौके पर स्थित जमीन में भिन्नता है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के तहत आबादी भूमि मे मौके पर कब्जा व निर्माण कार्य होने के आधार पर उक्त पट्टा जारी किया जा सकता है, ग्राम पंचायत पामेरा द्वारा मौके पर कब्जे की कोई कार्यवाही नहीं करवाई गई एवं पट्टा जारी करने बाबत् किसी तरह की कोई मिसल भी कायम नहीं की गई एवं नियमानुसार आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किये गये। इस तरह अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पामेरा ने अपनी मनमर्जी के आधार पर उक्त पट्टा अपने नाम से जारी करवाया है, जो गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा अप्रार्थी अमराराम, उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी में नही आता है। ग्राम पंचायत, पामेरा ने प्रश्नगत पट्टा जारी

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की हैं। पट्टा जारी करने के लिए नियमानुसार पंचायत सदस्यों की कमेटी गठित की जाती है, अडौस पडौस से आपत्ति मांगने हेतु आपत्ति नोटिस जारी किये जाते है। पंचायत सदस्यों द्वारा मौके पर स्थित जमीन का नाप जोख किया जाता है। पंचायत द्वारा नियमानुसार मिसल बनाकर पंचायत की बैठक में नियमानुसार प्रस्ताव पारित करवाया जाता हैं। उक्त सभी प्रावधानों व प्रक्रिया को नजरअंदाज कर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 22 गलत रूप से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जब पट्टा जारी किया जाता है तो इस संबंध में पंचायत में प्रस्ताव लेकर उस प्रस्ताव को उच्चाधिकारीयों से अनुमोदित करवाया जाता है, जो नही करवा कर उक्त पट्टा संख्या 22 नियम विरूद्ध जारी करवाया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी अमराराम पुत्र ओटा जी कलबी, निवासी– पामेरा के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन का जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 06–9–2019 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) अमराराम के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी अमराराम के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी अमराराम के भूखण्ड संख्या 13 पट्टा संख्या 38 के पश्चिम दिशा में रास्ता होने का कथन गलत है, मौके पर प्रार्थी के भूखण्ड़ संख्या 13 के पट्टा संख्या 38 के पश्चिम में रास्ता नही होकर अप्रार्थी अमराराम का पट्टेशुदा व कब्जेशुदा भूखण्ड़ है। अप्रार्थी अमराराम द्वारा रास्ते की भूमि पर निर्माण नही कर अपने पट्टशुदा भूखण्ड पर ही निर्माण कार्य किया है। अप्रार्थी अमराराम के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा संख्या 22 जारी किया गया है, जो विधिपूर्वक जारी किया गया है। प्रार्थी ने अपने पक्ष में पट्टा नंबर 36 व 38 जारी करने का उल्लेख किया है, जिसका नाप व चतुदर्शी मौके पर मेल नहीं खाती है तथा प्रार्थी मोतीराम ने पट्टे के विपरित मौके पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। प्रार्थी द्वारा पट्टे जारी करना बताया है, जो 30x60 के है, लेकिन मौके पर प्रार्थी ने दक्षिण दिशा में 63 फीट, उत्तर दिशा में 74 फीट व पूर्व दिशा में 60.6 फीट व पश्चिम दिशा में 63 फीट लम्बाई में अवैध रूप से परकोटा निकालकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। मौके की स्थिति को दर्शाते नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है जो न्यायालय पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थी मोतीराम के कथनानुसार उसे पट्टा संख्या 36 भूखण्ड संख्या 12 का जारी किया गया है एवं उसके पश्चिम में आम रास्ता का उल्लेख किया गया है तो उसी जगह का पट्टा संख्या 13 कानूनन जारी नही किया जा सकता है और अगर पश्चिम के आम रास्ते में प्लॉट संख्या 13 का पट्टा प्रार्थी मोतीराम को जारी किया गया है तो वह कुटरचित दस्तावेज है तथा वह प्रारम्भतः शुन्य व बातिल दस्तावेज है। ऐसे दस्तावेज से उसे कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टों की चतुदर्शी मौके पर मेल नहीं खाती है एवं अडौस पडौस भी चतुदर्शी अनुसार मेल नहीं खाते है। मौके पर केवल दक्षिण में रास्ता अस्तित्व में है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है एवं पूर्व दिशा में भी अन्य का मकान स्थित है, लेकिन उसके पीछे भी गलत रूप से प्रार्थी ने गली छोडकर परकोटे का निर्माण कार्य किया है जो भी कानुनन गलत है एवं प्रार्थी ने मौके व पट्टे में स्थित चतुदर्शी के विपरित बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य कर मौके पर विवाद की स्थिति पैदा कर रखी है। इस प्रकार, प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है एवं प्रार्थी ने गलत रूप से अवैध अतिक्रमण कर रखा है एवं मौके पर अन्य लोगो को डराता धमकाता रहता है एवं मुकदमों में फंसाने की धमकियों देता है। अप्रार्थी अमराराम के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है वह विधि सम्मत जारी किया गया है तथा मौके पर चतुदर्शी व कब्जे में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

अप्रार्थी अमराराम, एक पात्र व्यक्ति होने से ही उसे उक्त पट्टा संख्या 22 रियायती दर पर जारी किया गया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार मिसल का संधारण किया गया है, आपत्ति नोटिस भी जारी किये गये है तथा पूर्णरूप से सुनवाई कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी स्वयं अतिक्रमी है, एवं किसी भी प्रकार से राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी अमराराम के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायन ने प्रस्ताव दिनांक 22.08.2019 को पारित किया गया है तथा उक्त प्रस्ताव की अनुपालना में दिनांक 06.09.2019 को मात्र 900 वर्गफीट भूमि का रियायती दर पर पट्टा अप्रार्थी अमराराम के पक्ष में जारी किया गया है। अप्रार्थी अमराराम के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी मोतीराम द्वारा यह निगरानी आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत किया है जो अवधि बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपने निगरानी आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। शपथ पत्र के अभाव में प्रार्थी का निगरानी आवेदन कानुनन परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी के हक में जारी अवैध पट्टे की आड में पट्टे में दर्ज चतुदर्शी के विपरित मौके पर अवैध रूप से परकोटे का निर्माण प्रार्थी ने किया है तथा पट्टे मे वर्णित नाप से भी ज्यादा पर अतिक्रमण कर रखा है एवं अतिक्रमण की शिकायत करने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी अमराराम को हैरान परेशान करने व खर्चे में झेरबार करने के बदईरादे से यह निगरानी आवेदन पेश किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ग्राम पंचायत, पामेरा के अधिवक्ता ने ग्राम पंचायत, पामेरा के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के पट्टा संख्या 38 के पश्चिम दिशा में रास्ता होने व प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग करने का कथन गलत है। प्रार्थी के पट्टाशुदा प्लोट में आने का रास्ता पश्चिम दिशा में नही है अपितु दक्षिण दिशा में आम रास्ता मौके पर स्थित है। अप्रार्थी अमराराम ने अपने भुखण्ड पर निर्माण कार्य किया है। प्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी रेबारी द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर को शिकायत करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के निर्देश पर अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर श्री भरतसिंह वागेला द्वारा मोतीराम पुत्र लकाजी के दोनो भुखण्ड व अप्रार्थी अमराराम के भुखण्ड का दिनांक 23.05.2022 को मौका निरीक्षण कर नाप जोख कर मौके की फर्द बनाई गई जिसमें मोतीराम द्वारा अवैध रूप से 970 वर्गफीट पर पट्टे के अलावा अतिक्रमण करना पाया गया जिस पर नियमानुसार उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने के लिये सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पामेरा को निर्देशित किया गया था। मौके की फर्द जो बनाई गई थी उसमें भी मोतीराम के भुखण्ड का दरवाजा दक्षिण दिशा में पाया गया है। मौका फर्द की छाया प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत की गई है जो पत्रावली में संलग्न है। यह कि प्रार्थी के पट्टो की चतुदर्शी मौके की स्थिति के बिलकुल विपरित है। अप्रार्थी अमराराम को जारी पट्टे की मौके पर स्थिति पट्टा अनुसार सही पाई गई तथा अप्रार्थी अमराराम मौके अनुसार सही जगह पर काबिज है। ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी अमराराम के पक्ष में विधि अनुरूप पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी अमराराम पुत्र ओटा जी कलबी, निवासी– पामेरा को क्षेत्रफल 900 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर आवंटन का पट्टा संख्या 22 दिनांक 06–9–2019 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, पामेरा के संकल्प संख्या 03 दिनांक 22–8–2019 की अनुपालना में जारी किया गया है।

...पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय * सिरोही * राजस्थान

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत इस नियम में वर्णित श्रेणियों के ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई आवासीय गृह या आवासीय भूखण्ड़ नही है को रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन किया जा सकता है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत अप्रार्थी अमराराम पुत्र ओटा जी कलबी, निवासी– पामेरा, रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता नही रखता हो अथवा उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी/वर्ग का व्यक्ति नही हो। प्रार्थी ने ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी अमराराम के पास पूर्व से ही आवासीय स्थल/गृह उपलब्ध हो। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा विधि अनुरुप प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी अमराराम पुत्र ओटा जी कलबी, निवासी– पामेरा को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 900 वर्गफीट भूमि का रियायती दर पर आवंटन करने का ग्राम पंचायत, पामेरा की बैठक दिनांक 22–8–2019 में संकल्प संख्या 03 पारित कर उक्त सकल्प संख्या 3 दिनांक 22–8–2019 की अनुपालना में पट्टा संख्या 22 दिनांक 06–9–2019 को जारी किया गया है।

प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह भी कथन किया है कि प्रार्थी के पट्टे में अंकित चतुर्दशी के अनुसार प्रार्थी के पट्टेशुदा भूखण्ड़ के पश्चिम दिशा में रास्ता है। प्रार्थी ने अपने इस कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में भूखण्ड़ संख्या 12 के जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 18–12–2004 व भूखण्ड़ संख्या 13 के जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 18–12–2004 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित चतुर्दशी में उक्त भूखण्ड़ संख्या 12 व 13 के पट्टा संख्या क्रमशः 36 व 38 में पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित किया है। यदि प्रार्थी के पट्टा संख्या 36 से संबंधित भूखण्ड़ संख्या 12 के पश्चिम दिशा में मौके पर वास्तव में रास्ता होता तो उक्त भूखण्ड़ संख्या 12 के पश्चिम दिशा में स्थित भूखण्ड़ संख्या 13 का ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा प्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी रेबारी के पक्ष में पट्टा संख्या 38 दिनांक 18–12–2004 को जारी नही करती, जबकि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा प्रार्थी के पट्टा संख्या 36 दिनांक 18–12–2004 से संबंधित भूखण्ड़ संख्या 12 के पश्चिम दिशा में स्थित भूखण्ड़ संख्या 13 का ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा प्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी रेबारी के पक्ष में पट्टा संख्या 38 दिनांक 18–12–2004 को जारी किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रकरण में ग्राम पंचायत, पामेरा के जवाब में अंकित कथन के समर्थन में प्रस्तुत अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 23–5–2022 में अंकित मौके के नजरी नक्शें से होती है। प्रकरण में उक्त मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 23–5–2022 में अंकित नजरी नक्शें से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड़ संख्या 12 के पश्चिम दिशा में प्रार्थी मोतीराम स्वयं का पट्टेशुदा भूखण्ड़ संख्या 13 स्थित है एवं प्रार्थी के उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड़ संख्या 13 के पश्चिम दिशा में रास्ता नही होकर अप्रार्थी अमराराम का पट्टेशुदा भूखण्ड़ स्थित है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 मई, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)